भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./09/21/2021/एफ0 सी0/1192 दिनांकः 15/12/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर सस्थान" तथा संक्रमण रोग चिकित्सालय की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/DISP/114282/2020)

सन्दर्भः–कार्यालय – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1368/FP/UK/ DISP/114282/2020 दिनांक 02-12-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 31.08.2021 का उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अमुख प्रस्ताव पूर्व में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रस्ताव संख्या FP/UK/DISP/48845/2020, FP/UK/DISP/48848/2020 तथा FP/UK/ROAD/48706/2020 के extension के रूप मे पूर्व स्वीकृत क्षेत्र से लगा क्षेत्र है। परन्तु राज्य शासन द्वारा ई0डी0एस0 का उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत layout में किसी भी activity का उल्लेख नहीं है जबकि ई0डी0एस0 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक component को layout पर अंकित कर उसकी आवश्यकता का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत किया जाये। बिना स्पष्ट layout एवं संबंधित administrative approval के प्रकरण का परीक्षण किया जाना संभव नहीं है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.08.2021 का पुनः अवलोकन कर उपरोक्तानुसार स्पष्ट जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)